न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 185 / 2018 **दायर दिनांकः 09.10.2018**

उनवान

1. घांसीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. अमरलाल आयु 55 वर्ष पुत्र देवलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

आदेश दिनाकः 06 / 10 / 2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 72 का ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम धूमेन में अवस्थित है जो वादी के खाते कब्जे में चली आ रही है। उक्त वादी की आराजी के लगवां ही प्रतिवादी का खेत अवस्थित है। जिसका ख0नं0 117 है। प्रतिवादी ने अपने खेत की आड में वादी की भूमि ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 आराजी पर कब्जा कर रखा है। वादी ने दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार अटरू को अपने खाते की आराजी की पेमाईश हेतु आवेदन किया। जिस पर पटवार मण्डल द्वारा उक्त आराजी ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 की पेमाईश की गई तथा प्रतिवादी ने वादी को कब्जा संभलाने से इंकार कर दिया। इस कारण माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित अपने कब्जे

काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ख0नं0 1117 रकबा 0.73 है0 पर से प्रतिवादी को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्ति करने का अधिकारी है एवं प्रतिवादी को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह पुनः भविष्य में वादी के शांतिपूर्ण उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे। वाद कारण दिनांक 30.06.2018 को वादी के आवेदन पर वादी के खाते की आराजी की पेमाईश करने तथा प्रतिवादी ने वादी को कब्जा संभलाने से इंकार करने पर प्रथम व अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम धुमेन तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के खाते की आराजी खाता सं0 72 का ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल होने के बाद पुनः कब्जा नहीं करें ऐसा कृत्य न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियो से करावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्य के तहत pw 1 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के खाते की आराजी खाता सं0 72 का ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 पर से प्रतिवादी

को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जावे। तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल होने के बाद पुनः कब्जा नहीं करें ऐसा कृत्य न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियो से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 अनुसार ग्राम धुमेन के खाता संख्या 72 का ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 भूमि घांसी पुत्र रामनारायण जाति धाकड के दर्ज खाता है। प्रतिवादी को वादी के खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा वादी के उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा डालने का कोई अधिकार नही है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम धूमेन की खाता संख्या 72 का ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 भूमि वादी के खातेदार कृषक है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलावें। प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के स्वामित्व की आराजी ग्राम धूमेन की खाता संख्या 72 का ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 भूमि से बेदखल होने के बाद पुनः कब्जा नहीं करें। ऐसा कृत्य न स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 185/2018

उनवान

1. घांसीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. अमरलाल आयु 55 वर्ष पुत्र देवलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
बहाजिर :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम धूमेन की खाता संख्या 72 का ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 भूमि वादी के खातेदार कृषक है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलावें। प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के स्वामित्व की आराजी ग्राम धूमेन की खाता संख्या 72 का ख0नं0 1117 का रकबा 0.73 है0 भूमि से बेदखल होने के बाद पुनः कब्जा नहीं करें। ऐसा कृत्य न स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.10.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)